(वाद सं0–2496/4/32/2021)

02.02.2024

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, अर्जुन सिंह, सेवानिवृत्त की मैन–सह–चौकीदार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, छपरा, सारण के दिनांक–31.12.2021 को सेवानिवृत्ति के उपरान्त उसे भविष्य निधि में संचित राशि व अर्जित अवकाश के बदले भुगतेय नकद राशि को छोड़कर शेष अनुमान्य सभी सेवान्त लाभ का भुगतान नहीं किये जाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर **जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण प्रमण्डल, सारण, छपरा के प्रतिवेदन के आलोक में प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग, पटना से परिवादी के बकाया अनुमान्य सेवान्त लाभ के भुगतान के सम्बन्ध में प्रतिवेदन की माँग की गयी।

नोडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग, पटना के प्रतिवेदन संचिका के (पृष्ठ 146–120/प0) पर रक्षित है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण प्रमण्डल, सारण, छपरा के प्रतिवेदनानुसार, ‘‘परिवादी को उसके सेवानिवृत्ति के उपरान्त भविष्य निधि की संचित राशि, अव्यवहृत अवकाश के बदले नकद समतुल्य राशि को छोड़कर, ग्रुप बीमा, उपादान, कार्यभारित अवधि से सम्बन्धित लाभ का भुगतान कर दिया गया है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि परिवादी के पेन्शन भुगतान के सम्बन्ध में उनके द्वारा समर्पित पेन्शन प्रपत्र जब महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भेजा गया तो महालेखाकार कार्यालय द्वारा सूचित किया गया कि परिवादी को पेन्शन देय नहीं है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि स्वयं परिवादी द्वारा समरूप मामले को लेकर माननीय पटना उच्च न्यायालय C.W.J.C. संख्या–6461/2022 दाखिल किया

गया था, जिसको माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–08.08.2023 को "dismissed as withdrawn" के आधार पर खारिज कर दिया गया। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि परिवादी को अनुमान्य सभी सेवान्त लाभ व सेवाकालीन बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा अब उनका कोई बकाया से सम्बन्धित मामला लम्बित नहीं है।’’

अब जबकि प्रसंगाधीन मामले में परिवादी को अनुमान्य सभी सेवान्त व सेवाकालीन लाभ का भुगतान कर दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले में अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय आज पारित आदेश के साथ लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग, पटना के प्रतिवेदन (पृष्ठ 146–120/प0) की प्रति संलग्न कर, तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

संयुक्त सचिव